प्रकरण संख्या 24/2020 अनवान मनी देवी बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 22.10.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या - 24/2020
(जी.सी.एम.एस.-2020/00068)

निर्णय दिनांक -22.10.2024

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट एवं 136 एलआरएक्ट)

अनवान -

01- मनी देवी पत्नी लेखराम जाति ब्राहमण निवासी 4 एम.जे.डी. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

02- हरीशचन्द्र पुत्र लेखराम जाति ब्रहामण निवासी 4 एम.जे.डी. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

03- विमला पुत्री लेखराम पत्नी मेघराज जाति ब्रहामण निवासी चनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान

...............प्रार्थी/वादीगण...........

बनाम-

01- राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर ।

............अपार्थी/प्रतिवादी..........

उपस्थिति-

01. श्री प्रेम सिंह सैनी, बक्शीश थिन्द वकील प्रार्थीगण

02. पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

::-निर्णय ::-

वादीगण/प्रार्थीयान निवेदन करते है प्रार्थी/वादीगण के नाम से भूमि चक 12 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 28 प.न.215/469 का कि.न. 1 ता 25 का 6.325 एंव मु.न. 33 प.न. 210/469 का कि.न. 1/2, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/2, 22 ता 25 का 6.199 कुल 12.524 हैक्टर भूमि अ.क. खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण/प्रार्थीयान को उपरोक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई है, जो कि प्रार्थीयान/वादीगण को प्रार्थीयान/वादीगण के बाल्यावस्था में प्रार्थीयान/वादीगण के माता-पिता के द्वारा प्यार से प्रार्थीया/वादीया मनीदेवी को शार्टनम मुनी के नाम से व प्रार्थीया/वादीया विमला को धुके बाई के नाम से व प्रार्थी/वादी हरीशचन्द्र को प्यार से कालू कहकर पुकारा जाता था। चूंकि प्रार्थीयान/वादीगण उपरोक्त भूमि से दूर हनुमानगढ जिला में निवास करते है इसलिए उपरोक्त भूमि को विरासत में प्राप्त होने पर प्रार्थीयान का नाम जिन शार्टनम से पुकारा जाता था वही रिकार्ड में दर्ज करवा दिये गये है जबकि उक्त भूमि रिकार्ड में दर्ज मुनी देवी का वास्तविक नाम मनीदेवी एंव चुकेबाई का वास्तविक नाम विमला एंव कालूराम का वास्तविक नाम हरीशचन्द्र है एंव प्रार्थीयान/वादीगण के समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर पहचान पत्र आदि [illegible] का नाम मनी देवी पत्नी लेखराम, विमला पत्नी मेघराज, हरीशचन्द्र पुत्र [illegible] अकिंत है एंव समस्त पहचान बाबत दस्तावेज प्रार्थीयान के [illegible] विमला पत्नी मेघराज, हरीशचन्द्र पुत्र लेखराम के ही बने हुए है। [illegible] में नाम पृथक-पृथक [illegible] प्रार्थीयान को राजस्व कार्यों को करने, भूमि का फस[illegible] जो कि वर्तमान में आनलाई[illegible] द्वारा सरकार द्वारा खरीद करनी प्रारम्भ कर दी गयी है में फसल विक्रय करने में [illegible] परेशानीयों का सामना करना पड़ेगा व लगान अदा करने तथा अन्य कृषि कार्यों व राजस्व कार्यो को करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिससे प्रार्थयान/वादीगण को भारी असुविधा एंव ना पूरा होने वाला नुकसान होगा । जबकि उपरोक्त त्रुटि को जरीये

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या 24/2020 अनवान मन्नी देवी बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 एलआरएक्ट निर्णय दिनांक 22.10.2024

दुरूस्ती पत्र दूरूस्त कर राजस्व रिकार्ड जनाबन्दी चक 12 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर का मु.न. 28 प. न. 215/469 का कि.न. 1 ता 25 का 6.325है0 एंव मु.ज. 33 प.न. 210/469 का कि.न. 1/2, 2ता9, 10/1,11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/2, 22वा25 का 6.1990 कुल 12. 524 है. भूमि अ.क. खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076-2078 का खाता सं. 32 में दर्ज मुनी देवी के स्थान पर मनी देवी एंव कालूराम के स्थान पर हरीशचन्द्र तथा चुकेबाई के स्थान पर विमला नाम अकिंत किया जाने पर अप्रार्थी/प्रतिवादीया अन्य किसी भी व्यक्ति के हितो पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। चूंकि वादीगण ही उपरोक्त जमाबन्दी में मुनी देवी, कालूराम, चुकेबाई के नाम से दर्ज भूमि के वास्तविक स्वामी है एंव स्वंय को उपरोक्त जान से दर्ज भूमि के खातेदार घोषित करवाकर उक्त जमाबन्दी में अपना वास्तविक नाम दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। इसलिए जरीये दुरूस्ती उक्त बाम दूरुस्त किये जाने न्यायहित में उचित है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो को मध्यनजर रखते हुए चक 12 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर के मु.न. 28 प.न.215/469 का कि.न. 1 ता 25 का 6.325 एंव मु.न. 33 प.न. 210/469 का कि.न. 1/2, 2 ता 9, 10/1, 11/1, 12 ता 19, 20/1, 21/2, 22 ता 25 का 6.199 कुल 12.524 हैक्टर भूमि अ.क. के राजस्व रिकार्ड में कालूराम के स्थान हरीशचन्द्र, चुके वाई के स्थान विमला एवं मुनी देवी के स्थान पर मनी देवी अकिंत करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आदिनांक 22.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायायल में सुनाया गया।

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.11.07 10:48:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner